न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 108/2022

1 सहीराम उर्फ शिवराम पुत्र श्री अन्नाराम जाति जाट निवासी राड़ा की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट्स/प्रार्थी

बनाम

1 कमला देवी पत्नी श्रीचन्द
2 राजेश पुत्र श्रीचन्द
3 नरेन्द्र पुत्र श्रीचन्द
4 सुमन पुत्री श्रीचन्द
5 फुलचन्द पुत्र बिड़दाराम
6 रतिराम पुत्र बिड़दाराम
7 जगमाल पुत्र बिड़दाराम
8 महीपाल पुत्र बिड़दाराम
9 सुभिता पत्नी बलदेव समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ा की ढाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर।
10 राजेन्द्र पुत्र अन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी राड़ा की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.04.2022 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सहीराम आदि बनाम कमला मु.नं. 08/2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

उपस्थिति :

1. श्री सुभाष चन्द्र आर्य, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 में 1/12 हिस्से के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 ने कभी भी अपनी भूमि रेस्पोडेन्ट की भूमि लेकर अदला बदली नहीं की थी। ग्राम झाझड़ में नया खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबबा 5.16 हैक्टेयर में 1/12 हिस्सा अर्थात 0.43 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 काश्त करते है व इनका इस भूमि में 1/12 हिस्सा बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा कब्जा भी आज दिन तक अपीलान्ट के पास है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी सबूत व साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट की बात मानकर पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध आदेश दिया है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना न्यायालय का दायित्व है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें। अपीलांट ने अपील में प्रस्तुत आवेदन आदेश 06 नियम 17 स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5. 16 हैक्टेयर भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का 1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अनावेदकगण को विक्रय कर दिया व विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टेयर का कब्जा दे दिया जिस पर अनावेदकगण काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड भी अनावेदकगण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता संख्या 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टेयर पर कब्जा दिया है तथा खाता संख्या 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टेयर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

था, जिसमें से 0.45 हैक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनावेदकगण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, उसके बाद वादीगण अनावेदकगण द्वारा वर्णित भूमियां अदला बदली करने पर आवेदकगण ने अनावेदकगण की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में अनावेदकगण को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर अनावेदकगण खाता संख्या 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है तथा आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की अनावेदकगण की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता संख्या 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में अनावेदकगण को 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली है तो इस खाते में आवेदकगण काश्त व कब्जा नहीं होता है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टेयर का कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, जो अनावेदकगण ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टेयर आवेदकगण को मिली है। बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन अनावेदकगण को दी है। आवेदकगण ने गलत वंशावली पेश की है। आवेदकगण ने टीकूराम व रूपाराम की बहनों को पक्षकार नहीं बनाया तथा गुल्ला, अन्ना व सुमेर की बहनों को भी पक्षकार नहीं बनाया। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। रेस्पोडेन्ट ने इस स्तर पर आदेश 06 नियम 17 का आवेदन स्वीकार करने का विरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 06 नियम 17 इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम झाझड़ में खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 कुल किता 8 कुल रकबा 5.16 हैक्टेयर भूमि में सुमेर पुत्र टीकूराम का 1/12 हिस्सा था, जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 31.12.99 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अनावेदकगण को विक्रय कर दिया व विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया तथा मौके पर खसरा नम्बर 263 रकबा 0.43 हैक्टेयर का कब्जा दे दिया जिस पर अनावेदकगण काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड भी अनावेदकगण के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खाता संख्या 748 में सुमेर के 1/12 हिस्से की 0.43 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण ने क्रय की तथा बाद खरीद सुमेर ने मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 263 में 0.43 हैक्टेयर पर कब्जा दिया है तथा खाता संख्या 220 जिसके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 कुल किता 4 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर भूमि में सुमेर का 7/14 हिस्सा था यानि सम्पूर्ण रकबा 0.61 हैक्टेयर था, जिसमें से 0.45 हैक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनावेदकगण को बेच दिया तथा मौखिक बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 369 में से 0.45 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, उसके बाद वादीगण अनावेदकगण द्वारा वर्णित भूमियां अदला बदली करने पर आवेदकगण ने अनावेदकगण की खसरा नम्बर 369 की जमीन ले ली तथा इसके बदले में अनावेदकगण को खसरा नम्बर 263 में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अनावेदकगण को दे दी। इस प्रकार इस अदला बदली के आधार पर अनावेदकगण खाता संख्या 748 के खसरा नम्बर 263 रकबा 0.88 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदकगण खसरा नम्बर 369 की अनावेदकगण की जमीन अदला बदली के आधार पर काबिज है। इस प्रकार जब खाता संख्या 748 के खसरा नम्बर 248, 249, 250, 252, 253, 254, 262, 263 की भूमि में आवेदक ने अपना हिस्सा अदला बदली में अनावेदकगण को 1999 में दे दिया व बदले में 369 की जमीन ले ली है तो इस खाते में आवेदकगण काश्त व कब्जा नहीं होता है। इसलिये इस भूमि में 1/12 हिस्से का बंटवारा किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, खसरा नम्बर 639 व 641 पुराने जिनके नये खसरा नम्बर 367, 368, 369, 370 भूमि में 1/2 हिस्से टीकू का तथा 1/2 हिस्सा माला, कालू, बेगा, मोहन का है। इस जमीन में सुमेर का 1/6 हिस्सा था, जिसमें से उसने 0.45 हैक्टेयर भूमि अनावेदकगण को विक्रय कर दी व खसरा नम्बर 369 में 0.45 हैक्टेयर का कब्जा अनावेदकगण को दे दिया, जो अनावेदकगण ने आवेदकगण से अदला बदली की तब खसरा नम्बर 369 का रकबा 0.45 हैक्टेयर आवेदकगण को मिली है। बदले में खसरा नम्बर 263 में वादीगण की जमीन अनावेदकगण को दी है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर